

उत्तर प्रदेश शासन  
आवास अनुभाग - 6  
संख्या 2426/9-आ-6-2001-2 (विविध)/2001  
लखनऊ : दिनांक 31 अक्टूबर, 2001

अधिसूचना

जिला मथुरा के मथुरा-वृन्दावन नगर पालिका क्षेत्र को उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-30, 1974 द्वारा यथा पुनः अधिनियमित, राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-५, 1973) की धारा-3 के अन्तर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल शासन की अधिसूचना संख्या 1164/सैतीस-2-76 डी.ए./76 दिनांक 25 मार्च, 1977, अधिसूचना संख्या 5069/9-आ-5-98-76 डी.ए./76, दिनांक 08 जनवरी, 1977 तथा अधिसूचना संख्या 4493/9-आ-5-76 दिनांक 06 दिसम्बर, 1997 के अधीन घोषित मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण की सीमा में आंशिक संशोधन करते हुए, पूर्व घोषित सीमाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण क्षेत्र घोषित करते हैं :-

(अ) नगर क्षेत्र

1. गोर्वधन नगर क्षेत्र
2. राधा कुण्ड नगर क्षेत्र

(ब) ग्रामीण क्षेत्र

1. पाडल
2. नीम गाँव
3. सकीतरा
4. राधा कुण्ड देहात
5. गोर्वधन गोरवा
6. गाठोली
7. जतीपुरा
8. आन्धौर
9. गोर्वधन ब्राह्मणान
10. पाली ब्राह्मणान
11. जमुनावता

आज्ञा से,  
अतुल कुमार गुप्ता  
प्रमुख सचिव

संख्या-2426 (1)/9-आ-6-2001-2(विविधा)/2001

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त अधिसूचना को शासकीय गजट, असाधारण विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कर मुद्रित अधिसूचना की 200 प्रतियाँ शासन को तथा 5-5 प्रतियाँ पृष्ठांकित में अंकित अधिकारियों को अपने स्तर से भिजवाने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

**अरविन्द सोनकर**  
उप सचिव

**संख्या 2426 (2) / 9-आ-6-2001-2(वि0) / 2001**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त/अध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
2. आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
3. जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,

**अरविन्द सोनकर**  
उप सचिव